

32. लिछमा पुत्री रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी नैयासर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
33. सुरजा पुत्री रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी नैयासर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
34. सहीराम पुत्र रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी नैयासर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
35. सोनादेवी पत्नी मेघराज जाति मेघवाल निवासी नैयासर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
36. भवंरलाल पुत्र सोनादेवी पुत्री खेताराम जाति मेघवाल निवासी नैयासर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
37. कालुराम पुत्र सोनादेवी पुत्री खेताराम जाति मेघवाल निवासी नैयासर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
38. भागीरथ पुत्र सोनादेवी पुत्री खेताराम जाति मेघवाल निवासी नैयासर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
39. कृष्णलाल पुत्र सोनादेवी पुत्री खेताराम जाति मेघवाल निवासी नैयासर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
40. रूपाराम पुत्र सोनादेवी पुत्री खेताराम जाति मेघवाल निवासी नैयासर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
41. गुडडीदेवी पुत्री सोनादेवी पुत्री खेताराम जाति मेघवाल निवासी नैयासर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
42. ईमादेवी पुत्री सोनादेवी पुत्री खेताराम जाति मेघवाल निवासी नैयासर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
43. कृष्णादेवी पुत्री सोनादेवी पुत्री खेताराम जाति मेघवाल निवासी नैयासर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
44. हेतराम पुत्र टिकूराम जाति मेघवाल निवासी नैयासर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
45. हरिराम पुत्र रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी नैयासर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
46. हरीराम पुत्र टिकूराम जाति मेघवाल निवासी नैयासर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
47. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व पल्लू।

— अप्रार्थीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृति पर दिनांक 29.02.2014 को निर्णय करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रार्थी की कृषि भूमि ख.नं. 151 में आवागमन के लिये अप्रार्थीगण की कृषि भूमि नैयासर के ख.नं. 152 की 8.982 है. में से मुताबिक नजरी नक्शा उत्तर से दक्षिण 540 फुट लम्बा व 16.6 फुट चौड़ा यानि 0.0828 है. भूमि को गैरमुमुकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा प्रार्थीया की कृषि भूमि ख.नं. 151 की 0.0828 है. भूमि ख.नं. 152 के चिपते हुए अप्रार्थी सं. 1 ता 46 के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। अतः आप इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को अन्दर 7 दिवस में पेश करे।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्डाधिकारी राजस्व
सहायक कलक्टर
रावतसर
राजस्थान